Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 29/2022

Smt. Poonam Kumari ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	14.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–367 / स्था0 दिनांक–19.05.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदक दाखिल है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक–367 दिनांक–19.05.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी दिनांक–18.01.2008 को हल्का कर्मचारी के पद पर नियुक्त होते हुए अंचल कार्यालय, नरपतगंज में दिनांक–25.01.2019 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही थी। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक–343 दिनांक–07.08.2020 द्वारा इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया गया जिसे जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक–1046 दिनांक–04.09.2020 द्वारा अनुमोदित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी, नरपतगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप गठित हैं :– आरोप सं0–01 :– दिनांक–11.06.2020 को जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में अपीलार्थी के पास 1464 नामांतरण आवेदन लंबित पाये जाने के आलोक में अंचल निरीक्षक द्वारा पूछे गये कारण–पृच्छा का कोई जबाव नहीं देना और लंबित कार्यों का निष्पादन नहीं करना। पुनः दिनांक–16.07.2020 के समीक्षात्मक बैठक में इनके पास 1315 मामले लंबित पाया जाना और दाखिल खारिज के लगभग 60% मामले को कुंठित मंशा से अस्वीकृत करना। जिससे नरपतगंज अंचल का स्थान सबसे नीचे है। रैयतों द्वारा उनके कार्य के प्रति खेद प्रकट करने से प्रतीत होता है कि वे महिला कर्मी होने के नाते गलत फायदे उठाती हैं। आरोप सं0–02 एवं 03 :– अपीलार्थी द्वारा लोक शिकायत अधिनियम–2015 के तहत् प्राप्त आवेदनों का जाँच प्रतिवेदन नहीं देने के कारण निष्पादन में कठिनाई होना जो उनकी लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।	

Web Copy, Not Official.

		आरोप सं0–04 :– अपीलार्थी द्वारा कार्यालय से निर्गत सूचना के अधिकार लोकसभा, विधानसभा, नामांतरण एवं महत्वपूर्ण पत्रों का जाँच प्रतिवेदन ससमय क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	उपस्थापित नहीं करना। आरोप सं0–05 :– अपीलार्थी का दिनांक–21.03.202 से दिनांक–15.05.2020 तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहना। कोविड–19 जैसी महत्वपूर्ण कार्यों में मोबाईल बंद रखना एवं योगदान नहीं देना। इसी कारण जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–519 दिनांक–02.06.2020 द्वारा उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' की माँग की गई। अपीलार्थी का यह आचरण आपदा के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। अपीलार्थी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिनांक–21.03.2021 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। किसी गवाह का परीक्षण प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया और ना ही इनके पक्षों की सुनवाई की गई। संचालन पदाधिकारी ने ज्ञापांक–1160 दिनांक–20.12.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा बिना इनके पक्षों की सुनवाई किये अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश ज्ञापांक–367 दिनांक–19.05.2022 द्वारा वृहत दंड अधिरोपित कर दिया गया जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इनके द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में कुल–05 आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष सभी आरोपों से इनकार करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। सरकार के निर्देशों के अनुरूप इनके द्वारा 60% नामांतरण वाद खारिज किये गये। नामांतरण वादों के निष्पादन के लिए अंचल पदाधिकारी, नरपतगंज जिम्मेदार हैं। किसी रैयत के द्वारा इनके विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की गई। वादों के निष्पादन में ये दूसरे स्थान पर हैं। अपीलार्थी के डोंगल को अंचलाधिकारी ने अपने अभिरक्षा में ले रखा था जिससे नामांतरण वादों का निष्पादन लंबित रहा। अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक नामांतरण के लिए 700/– रूपये की माँग की जाती थी जिसके विरूद्ध इन्होंने दिनांक–17.07.2020 को जिला पदाधिकारी, अररिया के समक्ष लिखित आवेदन समर्पित किया था। मार्च 2020 में कोविड–19 महामारी के व्यापक प्रसार के कारण कार्य बाधित रहे और इन्हें अन्य कार्यों में लगाया गया। कार्य बोझ के कारण कभी विलंब हुआ है। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में दिनांक–21.03.2020 से दिनांक–15.05.2020 संपूर्ण राष्ट्र पूर्णतः तालाबंदी की स्थिति में था। जिससे अपीलार्थी भी प्रभावित रही। जबकि इससे पूर्व इनके द्वारा वसूली गई माल गुजारी रसीद जमा किया गया है जिसका नाजीर रसीद प्राप्त है। यहाँ तक कि उनके द्वारा दिनांक–31.03.2020 एवं दिनांक–04.04.2020 को भी भू–लगान रसीद की राशि जमा की गई है और कोरेनटाईन केन्द्र पर कार्य किया गया है।	

Web copy. Not Official.

		अंचल पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए था। अपीलार्थी को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया एवं जिला पदाधिकारी द्वारा इनके पक्षों की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। इस कार्यालय के क्रमशः	
	लगातार 14.11.2023	पत्रांक–1661 दिनांक–27.04.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी से कंडिकावार मंतव्य की माँग की गई जो अप्राप्त रहा। निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त। अपीलार्थी को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल–05 आरोपों के विरूद्ध विधिवत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त सभी आरोपों में अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही योग्य प्रमाणित पाते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिला पदाधिकारी, अररिया–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी के अनाधिकृत अनुपस्थिति, मोबाईल बंद रखना तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने जैसे प्रमाणित आरोपों के आलोक में संसूचित दंडादेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–367 दिनांक–19.05.2022 को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए संपुष्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल संचिका/अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.